

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

8-2/CSU/Acd./Misc/2023 / 278

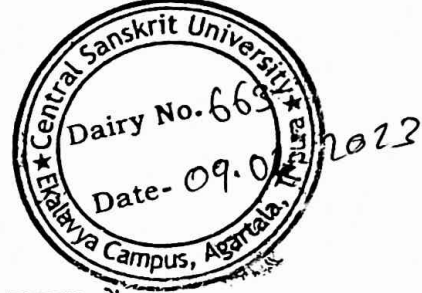
दिनांक- 31/01/2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

सभी परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय,

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय



विषय:- शास्त्री (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम में GE 1 पत्र में शास्त्रीय विषय ही लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शास्त्री (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम में पत्रसंकेतसंख्या GE 1 के अंतर्गत शास्त्रीय विषय का ही चयन छात्र द्वारा किया जाना सुनिश्चित है। शास्त्रीय विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ही प्रतिष्ठा की पात्रता होगी।

परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्र-छात्राओं को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन में GE 1 पत्र में शास्त्रीय विषय ही ग्रहण करने हेतु निर्दिष्ट करने की कृपा करें।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत किया गया है।

भवदीय

(डॉ. देवानन्द शुक्ल)

उप निदेशक (शैक्षणिक)

Notice No. : 206..

Date : 09.02.2023

Placed on the Notice Boards, uploaded on the Website of the Campus, circulated among the Group of the Campus for the information of all concerned.

S. K. Sengupta
DIRECTOR

Director
Central Sanskrit University
Ekalavya Campus, Agartala, Tripura